

**न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)**  
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 78/2022

आलोक कुमार साहू बनाम मनोज कुमार कुण्डू वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

09-06-2022

प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या-38/22 दिनांक 19/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गलीनुमा रास्ते को लेकर विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।


अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 18-06-2022 को उपस्थापित करें।

  
 अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
 बुण्डू।

18-06-2022

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस वामिला अप्राप्त। उभय पक्ष बकालतनामा के साथ उपस्थित। उभय पक्ष दिनांक 27-06-2022 को जवाब दाखिल करें।

  
 अनू० द०डा०


दिनांक/दिनांक Date/No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
10-10-2022	अभिलेख उपस्थापित/उभय पक्ष उपस्थित/उभय पक्ष दिनांक 17-10-2022 को जवाब दाखिल करें।  कार्य० दण्डा० कुछ।	
17-10-2022	उभय पक्ष हाजरी/पीठासीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक 14-11-2022 को रखें।  ह०-	
14-11-2022	अभिलेख उपस्थापित/उभय पक्ष उपस्थित/उभय पक्ष दिनांक 28-11-2022 को जवाब दाखिल करें।  कार्य० दण्डा० कुछ।	
28-11-2022	अभिलेख उपस्थापित/प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी/द्वितीय पक्ष उपस्थित/उभय पक्ष दिनांक 19-12-2022 को जवाब दाखिल करें।  कार्य० दण्डा० कुछ।	
19-12-2022	अभिलेख उपस्थापित/उभय पक्ष उपस्थित/द० प्र० सं० की धारा-116 (06) के अनुसार धारा-107 की अवधि दरः (06) माह की होती है। उध बाद में भी वैधानिक समय सीमा दरः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अर्थात् वाद का लबाधित हो गया है/उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी दोनों पक्षों में शांति बने रहने तथा संबंधित शाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक	

आदेश की संख्या / तिथि  
Order No./Date

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर  
Order and Signature of Magistrate

आदेश  
कार्रवाई  
Action  
order with

कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में  
वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।  
इस संबंध में संबंधित को भी सूचित करें।

  
काथी दंडा.  
कुर्छा